केबै / आरपी / 1 / 2018

विशेष रूप से निर्मित बैंकिंग व वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीबीएफ) पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी स्केल– 1 में परिविक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति

केनरा बैंक एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय बेंगलूरु में है और जिसकी विश्व भर में 6300 से अधिक शाखाएं हैं, पात्र उम्मीदवारों से मनिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेस प्रा. लि., बेंगलूरु या एनआईटीटीई एजुकेशन इंटरनेशनल प्रा. लि., ग्रेटर नोएडा, जो यूजीसी से अधिकृत हैं, के माध्यम से विशेष रूप से निर्मित बैंकिंग व वित्त में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीबीएफ) में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

- पाठ्यक्रम में 9 माह का कक्षा अध्ययन व 3 माह की केनरा बैंक की शाखाओं / कार्यालयों में इंटर्नशिप शामिल है।
- यह एक वर्ष का पूर्ण अवधि पीजीडीबीएफ पाठ्यक्रम मनिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेस प्रा. लि., बेंगलूरु या एनआईटीटीई एजुकेशन इंटरनेशनल प्रा. लि., ग्रेटर नोएडा के परिसर में आयोजित किया जाएगा।
- कार्यक्रम 9 माह के कक्षा अध्ययन के दौरान पूर्णतया आवासीय है और चुने गए अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से परिसर में निवास करना होगा।

अभ्यर्थियों का पाठ्यक्रम में प्रवेश चयन प्रक्रिया के माध्यम से उक्त दो संस्थानों में से किसी एक में होगा जिसमें ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा, समूह परिचर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं। पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, अभ्यर्थियों को उस संस्थान से "बैंकिंग व वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीबीएफ)" प्रदान किया जाएगा और उन्हें बैंक में कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी स्केल - 1 में परिविक्षाधीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।

योग्य अभ्यर्थी, हमारे बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी अन्य प्रकार से दिए गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और शुल्क / ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पूर्व अपनी योग्यता सुनिश्चित कर लें।

कार्यक्रम का विवरण	दिनांक
आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार का भुगतान	23.10.2018 से 13.11.2018 तक [दोनों दिनो को शामिल करते हुए]
वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीकरण हेतु जारी एवं बन्द होने की तिथि	
ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलावा पत्र की डाउनलोडिंग	05.12.2018 के बाद
ऑनलाइन परीक्षा की तिथि(संभावित)	23.12.2018

कृपया नोट करें:

क) आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाएगी जब शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व बैंक को शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर दिया जाएगा।

ख) आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि योग्यता तिथि तक उन्होंने योग्यता प्राप्त कर ली है।

ग) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि विवरण व अद्यतन जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com चेक करें।

1) आरक्षण व चयन किए जाने वाले छात्रों का विवरण :

चयनित छात्रों को बैंकिंग व वित्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम जो मनिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेस प्रा. लि., बेंगलूरु या एनआईटीटीई एजुकेशन इंटरनेशनल प्रा . लि.,ग्रेटर नोएडा द्वारा आयोजित की जाएगी , उस में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वर्तमान चयन प्रक्रिया के माध्यम से शामिल किया जाएगा। चयनित होने वाले कुल छात्रों की संख्या और आरक्षण निम्नलिखित व अनंतिम हैं तथा यह बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनीय है।

चयन हेतु छात्रों की संख्या									**(01.10.2018) को आयु**
अ.जा	**अ.जजा**	**अ.पि.व**	**सामान्य**	**कुल**	**जिसमे से**				
					ओसी	**एचआई**	**वीसी**	**आईडी**	
120	60	216	404	800	8	8	8	8	**न्यूनतम - 20 वर्ष** **अधिकतम -30 वर्ष**

* आरक्षण सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे। अधिकतम आयु में छूट के लिए मद संख्या 6 देखें।

नोट:

(क) चयन होने वाले कुल छात्रों की संख्या और प्रदत्त आरक्षण अनंतिम है तथा बैंक की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप इसमें परिवर्तन हो सकता है ।

(ख) अधिकतम आयु में छूट के लिए बिन्दु संख्या 6 देखें।

(ग) संदर्भित दिव्यांग वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018" की धारा 34 के अनुसार उपलब्ध हैं।

(घ) पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, क्षैतिज आधार पर है, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को उपयुक्त वर्ग, जिसमें वो शामिल हैं, में रखा जाएगा।

(ङ) पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अंतर्गत सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को सेवाओं /पदों में आरक्षण के योग्य माना जाएगा जिनका संदर्भित दिव्यांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक है।

(च) सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जायेगा जो समय-समय पर संशोधित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक व प्रशासनिक सुधार अधिसूचना सं 36034/5/85/ईएसटीटी. (एससीटी) दिनांक 27.10.1986 में निर्धारित संशोधित परिभाषा को पूरा करते हैं ।

(छ) उपरोक्त आरक्षण कमी / बैकलॉग आरक्षण को शामिल करते हुए है।

(ज) बैंक की आवश्यकता के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को भारत में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।

संक्षिप्ताक्षर :

जीडी – समूह परिचर्चा; जेएमजीएस-1 – कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी स्केल – 1; अ.जा – अनुसूचित जाति; अ.जजा - अनुसूचित जनजाति; अ.पि.व - अन्य पिछड़ा वर्ग ; यूआर- अनारक्षित; पीडब्ल्यूबीडी- संदर्भित दिव्यांग वाले व्यक्ति; एचआई- श्रवण बाधित ; ओसी- अस्थि बाधित ; वीसी- दृष्टि बाधित ; आईडी – मानसिक दिव्यांग; एफवाई - वित्तीय वर्ष।

2) (01.10.2018) को योग्यता मानदंड:

- शैक्षणिक योग्यता: भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% (अ.जा. / अ.जजा. / पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%) या समकक्ष ग्रेड के साथ डिग्री (स्नातक) या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई समकक्ष योग्यता।

उल्लिखित की गई सभी शैक्षणिक योग्यताएं निश्चित रूप से भारत सरकार / सरकारी नियामक संस्थाओं द्वारा अधिकृत विश्वविद्यालय / संस्था / बोर्ड से होनी चाहिए तथा अंतिम परिणाम 01.10.2018 तक या उससे पूर्व घोषित होना चाहिए। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख मार्क-शीट या विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा जारी किए गए अंनतिम प्रमाणपत्र पर प्रदर्शित होने वाली तारीख होगी। यदि उत्तीर्ण होने की तारीख को मार्क-शीट या अस्थायी प्रमाण पत्र में उचित रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है , तो बोर्ड / विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज परिणामों की घोषणा की तारीख को दर्शाते हुए साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी विशेष परीक्षा के परिणाम विश्वविद्यालय / संस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट किए गये हैं तथा वेब आधारित प्रमाण पत्र जारी किए गये हो तो विश्वविद्यालय / संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल रूप से उचित दस्तावेज / प्रमाण पत्र जिसमें वास्तविक तिथि उल्लिखित है सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए उसे माना जाएगा।

अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को निकटतम दशमलव के दो अंकों तक निश्चित रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए। जहाँ सीजीपीए प्रदान किया जाता है , उसे प्रतिशत में परिवर्तित कर ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा अधिसूचित समकक्ष श्रेणी सहित ग्रेड से प्रतिशत परिवर्तित करने के “परिवर्तन सूत्र” की प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना है। प्रतिशत का अंश अर्थात 59.99% को 60% से कम तथा 54.99% को 55% से कम माना जाएगा।

- आयु (यथा 01.10.2018 को): न्यूनतम 20 वर्ष – अधिकतम 30 अर्थात अभ्यर्थी 02.10.1988 के पूर्व तथा 01.10.1998 के पश्चात (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) पैदा नहीं हुआ हो।

संस्थान एवं पाठ्यक्रम शुल्क का विवरण:

क्रम सं.	संस्थान का नाम	प्रति अभ्यर्थी पाठ्यक्रम शुल्क
1	मनिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेस प्रा. लि., बेंगलूरु परिसर	पाठ्यक्रम शुल्क - ₹ 350000.00 + लागू दर (वर्तमान में जी एस टी @ 18% : ₹ 63000.00) कुल पाठ्यक्रम शुल्क: ₹ 413000.00
2	एनआईटीटीई एजुकेशन इंटरनेशनल प्रा. लि., ग्रेटर नोएडा परिसर	पाठ्यक्रम शुल्क - ₹ 300000.00 + लागू दर (वर्तमान में जी एस टी @ 18% : ₹ 54000.00) कुल पाठ्यक्रम शुल्क : ₹ 354000.00

भुगतान शर्तें :

- अभ्यर्थी सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान एक बार में कर सकता है या
- 2 किस्तों में (पाठ्यक्रम आरंभ होने के पूर्व पाठ्यक्रम शुल्क का 50% और शेष 50% शुल्क दो महीने के पश्चात लेकिन पाठ्यक्रम आरंभ होने के तीन महीने समाप्त होने के से पूर्व)

अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी उपर्युक्त पाठ्यक्रम में योग्यता एवं वरीयता के आधार पर किसी भी चयनित संस्थान में प्रवेश हेतु योग्य होगा। बैंक , चयन के किसी अन्य उपयुक्त मापदंड को अपनाने एवं अभ्यर्थियों को किसी भी सही व उचित संस्थान में आबंटित करने के लिए स्वतंत्र है। इस सम्बन्ध में बैंक का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी है।

चयनित अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान संस्थान को , संस्थान की भुगतान शर्तों के अनुसार करना होगा। चयनित उम्मीदवारों को अपने स्वयं के स्रोतों से या बैंक से शैक्षिक ऋण का लाभ उठाने , जो कि ऋण की मात्रा , मार्जिन, सुरक्षा, दस्तावेज, ब्याज दर, पुनर्भुगतान आदि के लिए मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता के अधीन है , का विकल्प है। शिक्षा ऋण के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण चयनित अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के सीआईबीआईएल रिपोर्ट के आधार पर होगा।

उपरोक्त के अलावा , पाठ्यक्रम में आदेशित विभिन्न प्रमाणीकरण परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। पाठ्यक्रम के लिए लैपटॉप का व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

यदि पाठ्यक्रम में शामिल होने के पश्चात अभ्यर्थी के किसी दस्तावेज / साख में विसंगति पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा और और उसके द्वारा जमा पाठ्यक्रम शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे मामलों में , यदि अभ्यर्थी ने पाठ्यक्रम शुल्क जमा करने के लिए बैंक से ऋण लिया है तो उसका पुनर्भुगतान जारी ब्याज के अनुसार करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अनुपस्थित रहता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा और यदि इसके लिए बैंक से कोई ऋण लिया गया है तो यह अभ्यर्थी द्वारा निश्चित रूप से वर्तमान ब्याज और अन्य प्रभार, यदि कोई है, देय होगा।

3) करार / सुरक्षा बॉन्ड:

पाठ्यक्रम में शामिल होने के समय चयनित उम्मीदवारों को पीजीडीबीएफ कोर्स के सफल समापन के बाद बैंक में परिविक्षाधीन अधिकारी के रूप में शामिल होने की तिथि से पांच (5) वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए बैंक की सेवा के लिए एक समझौते / सुरक्षा बॉन्ड को कार्यान्वित करना होगा। यदि ऐसे मामलों में जिसमें अभ्यर्थी बैंक की सेवा को 5 वर्ष से पूर्व छोड़ देता है , फरार हो जाता है या इस्तीफा देता है तो वह बैंक को ₹ 100000 (एक लाख रूपये मात्र) + लागू होनेवाले दर अदा करने के लिए जिम्मेदार होगा।
ऐसे मामलों में, यदि अभ्यर्थी ने पाठ्यक्रम शुल्क जमा करने के लिए बैंक से ऋण लिया है तो उसका पुनर्भुगतान जारी ब्याज के अनुसार करना होगा।

4) पीजीडीबीएफ पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर बैंक की सेवा में शामिल होने पर वेतन व परिलब्धियां:

स्केल	वेतन व परिलब्धियां
जेएमजीएस -I	₹ 23700 – 980/7 – 30560 – 1145/2 – 32850 – 1310/7 – 42020

मंहगाई भत्ता , एचआरए, सीसीए, चिकित्सा सुविधा , अस्पताल में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, छुट्टी किराया रियायत आदि और अतिरिक्त सुविधाएं जैसे वाहन , फर्निचर आदि नियुक्ति के स्थान के आधार पर नियमानुसार उपलब्ध होंगी।

5) राष्ट्रीयता / नागरिकता:

कोई भी अभ्यर्थी (i) भारत का नागरिक हो या (ii) नेपाल की प्रजा हो या (iii) भूटान की प्रजा हो या (iv) तिब्बती शरणार्थी जो 01.01.1962 से पूर्व भारत में स्थाई रूप से बसने के इरादे से आया हो या (v) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो कि पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों -केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तन्जानिया , जाम्बिया, मलावी, जाइरे, ईथियोपिया और वियतनाम से विस्थापित होकर, भारत में स्थाई रूप से बसने के इरादे से आया है बशर्ते कि उक्त (ii), (iii), (iv) या (v) के तहत, इन श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो। ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण -पत्र जरुरी है, बैंक द्वारा आयोजित समूह चर्चा /साक्षात्कार के लिए प्रवेश की अनुमति प्रदान की जा सकती है लेकिन अंतिम चयन होने पर उन्हें नियुक्ति -पत्र केवल तभी दिया जाएगा जब वे भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करते हैं।

कंप्यूटर साक्षरता:

कंप्यूटर प्रणाली का परिचालन तथा कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य योग्यता है, जो अभ्यर्थी को होनी चाहिए अथवा उसे बैंक में कार्यग्रहण के 6 माह के भीतर अर्जित करनी होगी ।

हिन्दी का ज्ञान :

अभ्यर्थी के पास यदि हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान पहले से नहीं है तो उसे परिवीक्षा अवधि पूरी होने से पूर्व प्राप्त करना होगा ।

6) ऊपरी आयु सीमा में छूट :

क्र.सं.	श्रेणी	आयु छूट
(i)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को	5 वर्ष
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमी लेयर) के अभ्यर्थियों को	3 वर्ष
(iii)	संदर्भित दिव्याग व्यक्तियों को	10 वर्ष
(iv)	ऐसे सभी व्यक्तियों को जो 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर के साधारणत: अधिवासी रहे हैं	5 वर्ष
(v)	1984 के दंगों से पीड़ित व्यक्ति	5 वर्ष
(vi)	भूतपूर्व सैनिक : पद से हटाए गये व्यक्तियों या दुराचार के कारण डिस्चार्ज हुए, अथवा जिन्हें असक्षमता या सेना सेवा के लिये उपयुक्त शारीरिक अयोग्यता अथवा अवैधता के कारण हटाया गया है को छोडकर ईसीओ / एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन्ड अधिकारी जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेना सेवा की है तथा असाइनमेंट पूरा होने के बाद सेवामुक्त हुए हैं	5 वर्ष

नोट :

क. अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. को ऊपरी आयु में छूट संचयी आधार पर सिर्फ एक ही श्रेणी के लिये दी जायेगी जिसके लिये मद सं. 6 (iii) से 6 (vi) तक में निर्दिष्ट अनुसार आयु छूट अनुमत है।

ख. निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों पर लागू होती है।

ग. आयु में छूट के इच्छुक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय और बैंक द्वारा आवश्यक भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरण में फोटोकॉपी के साथ मूल / आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

घ. उक्त 6 (iv) के तहत आयु में छूट के पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय जिस जिला अधिकार क्षेत्र में वह साधारणत: निवास करता था या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पदनामित किसी अन्य प्राधिकारी से जारी इस संबंध में अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि अभ्यर्थी 01.01.80 से 31.12.89 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य का साधारणत: अधिवासी रहा है।

ङ. 6(v) के तहत आयु छूट प्राप्त पात्र अभ्यर्थियों को जिला मैजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा कि वे 1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज के तहत छूट के लिए पात्र है , जो सरकार द्वारा अनुमोदित है और वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के संप्रेषण सं . 9/21/2006- आईआर दिनांक 27.07.2007 द्वारा संप्रेषित की गई है।

च. अधिकारी संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

छ. कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के पश्चात किसी भी स्तर पर श्रेणी में परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं होगी तथा इस संबद्ध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन में दर्ज श्रेणी के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। आवेदन में दर्ज श्रेणी के अलावा किसी अन्य श्रेणी के तहत उम्मीदवारी हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ज. क्रीमी लेयर के तहत आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबद्ध अभ्यर्थी और / या राज्य हेतु केंद्रीय सूची में जिसकी जाति सूचीबद्ध नहीं है , वे अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण हेतु हकदार नहीं होंगे। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में साधारण श्रेणी के रुप में दर्शाना चाहिए।

झ. कृपया ध्यान दें कि राज्य हेतु केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध जाति के नाम से जाति प्रमाण पत्र में प्रदर्शित जाति का नाम (अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व.) अक्षरश: मेल होना चाहिए।

संदर्भित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण:

" दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016" की धारा 34 के तहत, दिव्यांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं। इस अधिनियम के तहत उल्लिखित दिव्यांग श्रेणियों के नाम निम्नानुसार:

क) अंध और निम्न दृष्टि

ख) बधिर और श्रवणशक्ति में ह्रास

ग) चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापात, तेजाब आक्रमण के पीडित और पेशीय दुष्पोषण भी है

घ) स्वपरायणता (ऑटिज़्म), बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यागता और मानसिक रुग्णता

ड़) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी है ।

नोट: उपरोक्त निर्दिष्ट दिव्यंग्ता की परिभाषाएं " दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016" के अनुसार होगी।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016" में निर्धारित अनुसार आरक्षित रिक्तियों का आबंटन किया जाएगा ।

मद (क), (ख) और (ग) के तहत [वीसी, एचआई और ओसी के अंतर्गत] प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति के लिए आठ रिक्त पद आरक्षित हैं । मद (घ) और (ङ) के तहत [आईडी के अंतर्गत] दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आठ रिक्त पद आरक्षित हैं।

(i) सहायक का उपयोग करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश

दृष्टि ह्रास अभ्यर्थियों और जिन अभ्यर्थियों की लेखन गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से प्रभावित हुई है, वे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपनी लागत पर स्वयं के सहायक का उपयोग कर सकते हैं । सहायक का उपयोग किए गए सभी मामलों में निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

• अभ्यर्थी को उसके / उसकी अपनी लागत से स्वयं के सहायक की व्यवस्था करनी होगी।

- अभ्यर्थी और सहायक दोनो को यह पुष्टि करते हुए वचन देना होगा कि सहायक ऊपर वर्णित सहायक के लिए सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है । इसके अलावा यदि बाद में यह पता चलता कि उसने किसी भी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नही किया या वास्तविकता का छुपया है तो परिणाम के बावजूद अभ्यर्थी की उम्मीदवारी अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी।

• सहायक का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी 20 मिनट प्रति घंटे के प्रतिपूरक समय या अन्यथा सूचित के मुताबिक पात्र होंगे।

- **अभ्यर्थी द्वारा लाये गये सहायक विषयगत भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परीक्षा के अभ्यर्थीनहीं होंगे ।यदि उपरोक्त का उल्लंघन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाया जाता है , अभ्यर्थी और सहायक दोनों की उम्मीदवारी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।**

• जो अभ्यर्थी सहायक का उपयोग के लिए पात्र है तथा परीक्षा में इसका उपयोग करना चाहते हैं , उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्यतः ध्यानपूर्वक सूचित करना होगा। तत्पश्चात किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

• केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ऐ सी रियायत की अनुमति होगी, क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया गया प्रतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा, यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है, तो यह परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसी को ऐसे समय की अनुमति देना संभव नहीं है । प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी रियायत की अनुमति नहीं दी जाएगी।

• जो संदर्भित दिव्याग व्यक्ति सहायक का चयन करते हैं , वे अपने लाये गये सहायक द्वारा किये गये किसी भी दुराचार के ज़िम्मेदार स्वयम होंगे। उम्मीदवार और सहायक के बीच बातचीत किसी भी तरह से परीक्षा में शांति भंग या परीक्षा हॉल / कमरे में बैठे अन्य उम्मीदवारों को परेशान, नहीं करना चाहिए।

ii) **चलन दिव्यांगता और प्रमस्तिष्क घात के अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश**

चलन दिव्यांगता और प्रमस्तिष्क घात के अभ्यर्थियों को बीस मिनट प्रति घंटा या अन्यथा दी गई सूचना के अनुसार प्रतिपूर्ति समय की अनुमति दी जाएगी जहां कार्य निष्पादन (न्यूनतम 40% दिव्यांगता) मंद होने से प्रमुख (लेखन) असमर्थता प्रभावित हुई है ।

(iii) दृष्टि ह्रास व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश

• दृष्टि ह्रास (न्यूनतम 40% दिव्यांगता) अभ्यर्थी परीक्षा की विषयवस्तु को आवर्धित फ़ॉन्ट में देखने के विकल्प का चयन कर सकते हैं तथा ऐसे सभी अभ्यर्थी 20 मिनट प्रति घंटे के प्रतिपूरक समय या अन्यथा सूचित के मुताबिक पात्र होंगे।

• सहायक का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की विषयवस्तु आवर्धक फ़ॉन्ट में देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों / स्पष्टीकरणों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

7) आवेदन शुल्क व सूचना प्रभार (जो वापस नहीं होंगे):

श्रेणी	शुल्क / सूचना प्रभार की राशि
अ.जा./अ.ज.जा./ पी.डब्ल्यू.बी.डी.	₹ 118 /- [केवल सूचना शुल्क , 18% जी एस टी शामिल है]
अन्य सभी	₹ 708 /- [18% जी एस टी सहित]

आवेदन शुल्क / सूचना प्रभारों के भुगतान की प्रक्रिया:

आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार अप्रतिदेय हैं, अत: इनके भुगतान से पूर्व पद के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें।

आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान

(i) अभ्यर्थियों को सावधानीपूर्वक ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों पर विवरण भरना चाहिए एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारूप के समापन पर "**फाइनल सबमिट**" बटन पर क्लिक करें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि "**फाइनल सबमिट**" बटन पर क्लिक करने से पूर्व आवेदन में भरी गई हर एक मद की जाँच कर लें।

(ii) उस मामले में जब, आवेदक एक बार में आवेदन प्रपत्र भरने में असफल रहता है तो वह पहले से प्रविष्ट डाटा को सेव कर सकता है। डाटा के सेव होने पर अनंतिम पंजीकरण संख्या व पासवर्ड प्रणाली द्वारा उत्पन्न होगी व स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी को अनंतिम पंजीकरण संख्या व पासवर्ड नोट करना चाहिए। अनंतिम पंजीकरण संख्या व पासवर्ड इंगित करते हुए ई -मेल व एसएमएस भी प्रेषित किया जाएगा। वे अनंतिम पंजीकरण संख्या व पासवर्ड का प्रयोग कर सेव किया हुआ डेटा खोल सकते हैं व उसमें विवरण को यदि आवश्यक हो तो संशोधित कर सकते हैं।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा एक बार आवेदन पूर्णतया भरे जाने पर डेटा **सबमिट** करना चाहिए।

(iv) आवेदन प्रपत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है एवं भुगतान प्रक्रिया को अनुदेशों का पालन करते हुए पूरा किया जा सकता है।

(v) डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व इंटरनेट बैंकिंग द्वारा स्क्रीन पर मांगी गयी सूचना देकर भुगतान किया जा सकता है। **फाइनल सबमिट** के पश्चात आवेदन प्रपत्र का एक अतिरिक्त पृष्ठ प्रदर्शित होगा जिसमें अभ्यर्थी अनुदेशों का पालन करते हुए व वांछित विवरण भर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान हेतु बैंक के संव्यवहार प्रभार का वहन करना होगा।

(vi) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि ऑनलाइन संव्यवहार पूरा नहीं हुआ है तो अनंतिम पंजीकरण संख्या व पासवर्ड के साथ पुन : लॉगिन करें एवं आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान करें।

(vii) संव्यवहार के सफलतापूर्वक पूरा होने पर ई-रसीद का सृजन होगा।

(viii) अभ्यर्थियों को ई-रसीद व ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का प्रिंट लेना अनिवार्य है। कृपया यह नोट करें कि यदि ई -रसीद का सृजन नहीं होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि ऑनलाइन संव्यवहार पूरा नहीं हुआ है।

<u>नोट :</u>

- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपनी भुगतान जानकारी प्रस्तुत करने के पश्चात कृपया सर्वर से सूचना हेतु प्रतिक्षा करें व दोहरे प्रभार से बचने हेतु कृपया बैक बटन या रिफ्रेश बटन न दबायें।
- क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं हेतु : सभी प्रभार भारतीय रुपये में हैं। यदि आप गैर - भारतीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दर के आधार पर स्थानीय मुद्रा में उसे परिवर्तित कर देगा।
- अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कृपया संव्यवहार पूरा होने पर अपना ब्राउसर विंडो बंद कर दें।

शुल्क / सूचना प्रभार के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अभ्यर्थी को प्रणाली द्वारा उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का प्रिंट लेना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा भरा गया विवरण सही है व भविष्य उपयोगार्थ उसे पंजीकरण संख्या व पासवर्ड सहित अनुरक्षित रखना चाहिए।

<u>डिमांड ड्रॉफ्ट / चेक / मनी ऑर्डर / पोस्टल ऑर्डर आदि द्वारा शुल्क का भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा एवं ऐसे आवेदन को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।</u>

8) आवेदन कैसे करें:

अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि विज्ञापन की विषयवस्तु को ध्यानपूर्वक पढ़ें व आवेदन भेजने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित करें।

पात्र अभ्यर्थियों को बैंक के वेबसाइट www.canarabank.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है। आवेदन के पंजीकरण हेतु लिंक इस विज्ञापन के शीर्ष में दर्शायी गई तिथियों पर हमारे वेबसाइट में खुलेगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिशानिर्देश निम्नानुसार है:

- सभी आवेदकों के पास वैध व्यक्तिगत ई -मेल आईडी होनी चाहिए। पंजीकृत ई -मेल आईडी को इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक चालू रखना चाहिए। अभ्यर्थियों को सभी संसूचनाएं केवल इसी ई-मेल आईडी पर प्रेषित की जाएगी।
- अभ्यर्थी बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com→ Careers→ Recruitment पर जाकर "RP–1/2018 - Recruitment of Probationary Officers in JMGS-I on completion of specially designed PGDBF Course " लिंक पर क्लिक करें ।
- अभ्यर्थी फोटो व हस्ताक्षर के स्कैनिंग व अपलोड हेतु (अनुबन्ध में) दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अपना फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें।
- अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना नाम व पिता / पति का नाम सही भरें जैसा कि प्रमाणपत्र / मार्कशीट में प्रदर्शित है। कोई भी बदलाव / परिवर्तन अभ्यर्थीको अयोग्य घोषित कर सकता है ।
- ऑनलाइन आवेदन में अभ्यार्थी का नाम इस प्रकार होना चाहिए जैसे एसएससी / एसएसएलसी / दसवी कक्षा का अंक कार्ड में दर्शायी गई हो । यदि अभ्यार्थी ने अपने नाम में परिवर्तन किया है , तो परिवर्तित नाम राजपत्र अधिसूचना / विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए।
- उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में सभी रिक्तों को भरना चाहिए ।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन को स्वयं भरें चूंकि ऑनलाइन आवेदन में भरे गये डेटा में कोई भी परिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व ऑनलाइन आवेदन में विवरण के जाँच हेतु "**सेव एंड नेक्स्ट**" सुविधा का प्रयोग करें तथा यदि आवश्यक हो तो उसे संशोधित करें। **फाइनल सबमिट** बटन दबाने के पश्चात किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन में गलत / त्रुटिपूर्ण सूचना का प्रस्तुतीकरण उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर देगा।

- ऑनलाइन पंजीकरण के पूरा होने के पश्चात पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन का प्रणाली जनित प्रिंट लें।
- किसी भी तरह से अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन यथा ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उचित आकार का पासपोर्ट फोटो / हस्ताक्षर अपलोड किए बगैर या असफल शुल्क भुगतान को वैध नहीं माना जाएगा।
- अपने रिकॉर्ड हेतु पंजीकरण संख्या व पासवर्ड सहित अंतिम ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रिंट की प्रति अनुरक्षित रखें।
- अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। एक से अधिक आवेदनों के मामले में केवल नवीनतम वैध पूर्ण भरा आवेदन रखा जाएगा तथा एक से अधिक अन्य पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार जब्त कर लिया जाएगा।
- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में जमा की गई कोई भी जानकारी व्यक्तिगत रूप से अभ्यर्थी पर बाध्य होगी और यदि वह उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना / विवरण बाद में यदि गलत पाया जाता है तो वह अभियोजन पक्ष / नागरिक परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
- आवेदन में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने में चूक या आवेदन में कोई भी गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के स्थिति से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

<u>साक्षात्कार के समय में प्रस्तुत किये जानेवाळे दस्तावेज़ :</u>

अभ्यर्थियों को इस स्तर पर मुद्रित आवेदन /दस्तावेज भेजने की अवश्यकता नहीं ह। तथापि, यदि समूह चर्चा तथा साक्षात्कार के लिए चुना जाता है तो अभ्यर्थी को नीचे दिए गए अन्य दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जमा करना होगा:

- ऑन-लाइन आवेदन का प्रिंट आउट
- जीडी और साक्षात्कार बुलावा पत्र का प्रिंट आउट
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र के साथ लागू आयु सीमा में छूट प्रमाण पत्र , यदि कोई है।
- एसएससी/एसएसएलसी/10/10+2/पीयूसी/इंटरमीडिएट/स्नातक/स्नातकोत्तर इत्यादि के अंक पत्र व प्रमाण पत्र । बोर्ड / विश्वविद्यालय से 01.10.2018 को या उससे पहले **स्नातक** के परिणाम घोषित करने का उचित दस्तावेज़ जमा करना होगा ।

- अज/अजजा/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को और संदर्भित दिव्यांग व्यक्तियों को निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाणपत्र और दिव्यांगता प्रमाणपत्र ।
- साक्षात्कार के समय एक भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को पेंशन भुगतान आदेश और पिछले / वर्तमान(वास्तविक और कार्यकारी) रैंक के दस्वावेज़ साक्ष्य के साथ सेवा या निर्वहन पुस्तक की प्रतिलिपि को प्रस्तुत करना है ।
- 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य का साधारणत: अधिवासी रहे व्यक्तियों " के अंतर्गत आयु छूट के लिए योग्य व्यक्तियों को साक्षात्कार के समय / में प्रक्रिया की किसी भी चरण में जिला क्षेत्राधिकार से, निवास प्रमाणपत्र, जहाँ पर वह साधारणत : रहे है , या इस संदर्भ में जम्मू एवं कश्मीर के सरकार द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी से प्रस्तुत करना है कि अभ्यर्थी 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य का साधारणत: अधिवासी रहे है ।
- "1984 दंगों से प्रभावित व्यक्तियों " के तहत आयु छूट के लिए योग्य व्यक्तियों को सरकार द्वारा मंज़ूर किये और वित्त मंत्रालय , वित्तीय सेवाएँ विभाग 27.07.2007 को दिनांकित सं .एफ.सं.9/21/2006-आई.आर दिनांक 27.07.2007 के संचार के अनुसार 1984 के दंगा प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास पैकेज की शर्तों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है ।

  सरकारी / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में सेवा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र " प्रस्तुत करना है , जिसकी अनुपस्थिति में , उनकी अभ्यर्थ पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई है।
- पहचान पत्र।
- अभ्यर्थिता के समर्थन में अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

जीडी और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर , अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए उक्त दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियों को लेकर आना है। उक्त दस्तावेजों के मूल और प्रतिलिपियों के प्रस्तुत किए बिना अभ्यर्थियों को जीडी और साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9) चयन प्रक्रिया :

चयन ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ परीक्षा , तदुपरांत समूह चर्चा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा । ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा बैकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) मुंबई के द्वारा आयोजित की जाएगी ।

ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति निम्नानुसार होगी:

विषय	परीक्षा का माध्यम	प्रश्नों की संख्या	अंक	समय
तार्किक योग्यता	अंग्रेजी व हिंदी	50	50	2 घंटे का समग्र समय
मात्रात्मक योग्यता	अंग्रेजी व हिंदी	50	50	
अंग्रेजी भाषा	अंग्रेजी	50	50	
सामान्य ज्ञान	अंग्रेजी व हिंदी	50	50	
कुल (कुल भारित अंक)		200	200	

- वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत जवाब के लिए ऋणात्मक अंक होंगे।
- बैंक कुल अंकों के साथ प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को समूह चर्चा तथा साक्षात्कार हेतु योग्यता प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक तथा न्यूनतम कुल अंक भी प्राप्त करना अनिवार्य है।
- बैंक को परीक्षा की संरचना को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है जिसे बैंक की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- परीक्षा के लिए बुलावा पत्र पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद देर से रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रिक्त पदों की संख्या के आधार पर , उन अभ्यर्थियों को जो बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंकों के अनुसार ऑनलाईन परीक्षा में योग्यता के स्तर में पर्याप्त उच्च रैंक प्राप्त करते हैं, 1: 3 अनुपात (3 अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए) के तहत समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

गलत उत्तर के लिये दंड :

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर देने पर दंड लगेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न का एक गलत उत्तर दिये जाने पर उस प्रश्न के लिए दिए गए अंक का एक -चौथाई या 0.25 अंक सही अंक प्राप्त करने के लिए दंडस्वरूप काट लिये जायेंगे। यदि यदि किसी प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी ने कोई उत्तर नहीं दिया है और ऐसे प्रश्नों के लिये कोई दंड नहीं है।

महत्वपूर्ण :

कृपया नोट करें कि यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाईन परीक्षा के दौरान या उसके बाद या पहले गलत तरीके अपनाते / प्रेरित करते हुए पाया जाता है तो अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

ऑनलाइन परीक्षा केंद्र

बैंक निम्नलिखित केंद्रों में ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित करेगा ।

क्रमांक	राज्य	परीक्षा केंद्र
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	पोर्ट ब्लेयर
2	आंध्र प्रदेश	चिराला
3		चित्तूर
4		एलूर
5		गुंटूर
6		कडपा
7		काकिनाडा
8		कर्नूल
9		नेल्लूर
10		ओंगोल
11		राजमंड्री
12		श्रीकाकुलम
13		तिरुपति
14		विजयवाडा
15		विशाखपट्टणम
16		विजयनगरम
17	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन
18	असम	डिब्रूगढ़
19		गुवाहटी
20		जोर्हत
21		सिल्चर
22		तेज़पुर
23	बिहार	आरा
24		औरंगबाद (बिहार))
25		भगलपूर
26		दर्भंगा
27		गया
28		मुजफ्फरपुर
29		पटना
30		पूर्णिया
31	चंदेगढ	चंडीगढ
32	छत्तीसगढ	भिलाई नगर
33		बिलासपूर
34		रायपूर
35	दिल्ली एन.सी.आर	दिल्ली और नई दिल्ली

36	गोवा	पणजी
37	गुजरात	अहमदाबाद
38		आनंद
39		गाँधीनगर
40		हिम्मतनगर
41		जामनगर
42		मेहसाणा
43		राजकोट
44		सूरत
45		वडोदरा
46	हरियाणा	अम्बाला
47		फरीदाबाद
48		गुरुग्राम
49		हिसार
50		कर्नाल
51		कुरुक्षेत्र
52		पानिपत
53		यमुना नगर
54	हिमाचल प्रदेश	बिलासपूर
55		हमीरपूर
56		कांगडा
57		कुल्लू
58		मंडी
59		शिमला
60		सोलन
61		ऊना
62	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू
63		सांबा
64		श्रीनगर
65	झारखंड	बोकारो स्टील सिटी
66		धनबाद
67		हज़ारीबाग
68		जमशेदपुर
69		रांची
70	कर्नाटका	बेंगलूरु
71		बेलगाम
72		बीदर
73		दावणगेरे
74		धारवाड

75		गुलबर्गा
76		हसन
77		हुबली
78		मंड्या
79		मंगलूर
80		मैसूर
81		शिमोगा
82		उडुपी
83	केरल	आलपुषा
84		कन्नूर
85		कोची
86		कोल्लम
87		कोट्टयम
88		कोषिकोड
89		मलप्पुरम
90		पालक्काड
91		तिरुवनंदपुरम
92		त्रिश्यूर
93	लक्षद्वीप	कवरत्ति
94	मध्य प्रदेश	भोपाल
95		ग्वालियर
96		इंदौर
97		जबलपूर
98		सागर
99		सतना
100		उज्जैन
101	महाराष्ट्र	अमरावति
102		औरंगबाद (महाराष्ट्र)
103		चंद्रपूर
104		धूले
105		जलगांव
106		कोल्हापूर
107		लातूर
108		मुंबई / ठावे / नवी मुंबई
109		नागपूर
110		नांदेड
111		नासिक
112		पूणे
113		रत्नगिरि

114		सोलापूर
115	मणिपूर	इंफाल
116	मेघालया	शिलोंग
117	मिज़ोराम	आइज़ोल
118	नागालांड	कोहिमा
119	ओडीशा	बालासोर
120		बेरहामपूर (गंजम)
121		भुवनेश्वर
122		कटक
123		ढेंकनाल
124		राउरकेला
125		संबलपूर
126	पुदुचेरी	पुदुचेरी
127	पंजाब	अमृतसर
128		भटिंडा
129		फतेगढ साहिब
130		जालंधर
131		लुधियाना
132		मोहाली
133		पठानकोट
134		पटियाला
135		संगरूर
136	राजस्थान	अजमेर
137		अल्वार
138		बिकानेर
139		जयपूर
140		जोधपूर
141		कोटा
142		सीकर
143		उदयपुर
144	सिक्किम	बर्दांग
145		गंगटोक
146	तमिलनाडु	चेन्नई
147		कोयंबतूर
148		इरोड
149		मदुरै
150		नागरकोइल
151		सेलम
152		तंजावूर

153		तिरुचिरपल्लि
154		तिरुनेलवेली
155		वेल्लूर
156		विरुधुनगर
157	तेलंगाना	हैदराबाद
158		करीमनगर
159		खम्मम
160		वरंगल
161	त्रिपुरा	अगर्तला
162	उत्तर प्रदेश	आगरा
163		अलीगढ
164		इलाहाबाद
165		बांदा
166		बरेली
167		फैज़ाबाद
168		गाज़ियाबाद
169		गोंडा
170		गोरखपूर
171		झांसी
172		कानपुर
173		लखनऊ
174		मथुरा
175		मेरठ
176		मुरादाबाद
177		मुज़फ्फरनगर
178		नोएडा / ग्रेटर नोएडा
179		सीतापूर
180		वाराणसी
181	उत्तराघंड	देहरादून
182		हल्दवानि
183		रूडकी
184	पश्चिम बंगाल	आसनसोल
185		दुर्गापूर
186		ग्रेटर कोलकाता
187		हुगलि
188		कल्याणि
189		सिलिगुडि

- अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे लिखित परीक्षा केंद्र के लिये अपनी प्राथमिकता दें। ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र का पता और समय ऑनलाइन बुलावा पत्रों में दिया जायेगा जो बैंक के वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे।
- अभ्यर्थी उपर्युक्त केंद्रों में से कोई एक केंद्र चुन सकते हैं और अपने आवेदन में उसे उल्लिखित कर सकते हैं । केंद्र में बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा । परीक्षा केंद्र के सटीक पते को बुलावा पत्र में सूचित किया जाएगा ।
- तथापि, केंद्र विशेष पर प्रतिक्रिया , प्रशासनिक व्यवहार्यता तथा आवेदनों की संख्या के अनुसार बैंक को ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों को बढ़ाने , बदलने या निरस्त करने का अधिकार है।
- यथा संभव अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के अनुसार केंद्र आबंटित किया जाएगा तथापि बैंक, अभ्यर्थियों द्वारा चुने गये केंद्र के अलावा अन्य केंद्र को भी आबंटित करने का अधिकार रखता है ।
- अभ्यर्थी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर अपने जोखिम व खर्च पर उपस्थित होंगे और बैंक अभ्यर्थी को हुई किसी भी प्रकार की क्षति या हानि के लिये जिम्मेदार नहीं होगा ।
- ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा ।

समूह चर्चा व साक्षात्कार प्रत्येक हेतु आबंटित कुल अंक 50 है। समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 40% से कम नहीं होंगे (अ.जा, अ.जजा, अ.पि.व, पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए 35%)। इस प्रकार प्रतिशत के अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा अर्थात 39.99% को 40% से कम माना जाएगा और 34.99% को 35% से कम माना जाएगा और विषयक चयन प्रक्रिया के लिए अपात्र योग्य ऑनलाइन परीक्षा / माना जाएगा ।अ, समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार की भारिता 50:20:30 क्रमशः के अनुपात में होगी।

उपरोक्त निर्धारित (ऑनलाइन परीक्षा , समूह चर्चा और साक्षात्कार) कट-ऑफ अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को विषयक चयन प्रक्रिया के लिए अपात्र / अयोग्य माना जायेगा। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में , वरीयता क्रम का निर्णय जन्म तिथि के अनुसार तय किया जायेगा (प्रचलित प्रथा के अनुसार अधिक उम्र के अभ्यर्थी को कम उम्र के अभ्यर्थी से वरीय / ऊपर रखा जायेगा)।

ऑन लाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा / समूह चर्चा / व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु बुलावा जायेगा। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर ऑनलाइन आवेदन में उपलब्ध कराए गए विवरण गलत पाए गए तो या अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय पर अपनी पात्रता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी एवं अभ्यर्थी को समूह चर्चा व साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऑनलाईन परीक्षा/समूह चर्चा/ व्यक्तिगत साक्षात्कार केन्द्र में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि, बैंक को समूह चर्चा /साक्षात्कार के समय, तिथि, केन्द्र व स्थान में परिवर्तन / संवर्धन / रद्द करने या साक्षात्कार व समूह चर्चा में अभ्यर्थी को बुलाने हेतु या आकस्मिक परिस्थितियों में अपने विवेकाधिकार पर विशिष्ट तिथि / सत्र / स्थान / केन्द्र / अभ्यर्थियों के समूह में अनुपूरक चयन प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार प्राप्त होगा। साक्षात्कर की समय सारणी में किसी भी परिवर्तन को हमा री वेबसाइट /ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

ऑनलाईन परीक्षा/ समूह चर्चा / साक्षात्कार में प्रवेश / पात्र होने या, ऑनलाईन परीक्षा/समूह चर्चा / साक्षात्कार में मात्र पास हो जाने का यह मतलब नहीं है कि बैंक अभ्यर्थी की योग्यता से निसंदेह संतुष्ट है तथा चयन के लिये अभ्यर्थी को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करेगा। बैंक किसी भी अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अयोग्य पाए जाने पर / तथा / या अशुद्ध या गलत सूचना / प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत करने पर या कोई अन्य तथ्यों को छुपाने पर अभ्यर्थिता को रद्द करने के लिये स्वतंत्र होगा। अयोग्य अभ्यर्थी द्वारा प्रदत्त शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा। अगर नियुक्ति होती है तो ऐसे अभ्यर्थी को बैंक की सेवा से तत्काल निकाला जा सकता है।

अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी योग्यता सह वरीयता के आधार पर चयनित किसी भी संस्थान के उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। बैंक किसी भी उचित और उपयुक्त संस्थान में अभ्यर्थी के चयन और आबंटन के लिए किसी भी अन्य मानदंड को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों को बाध्य होगा। संस्थान में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी संस्थान की आचरण संहिता का पालन करेंगे।

बैंक ऑनलाइन परीक्षा सहित चयन प्रक्रिया / मानदंड में परिवर्तन (रद्द / संशोधित / जोरना) / अनुपूरक चयन प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार रखता है , यदि आवश्यक हो। परिवर्तन, यदि कोई हुआ हो, तो अग्रिम में हमारी वेबसाइट / ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।

10) पहचान सत्यापन :

ऑनलाइन परीक्षा /समूह चर्चा / साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने पर अभ्यर्थी पहचान सत्यापन के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र (बुलावे पत्र पर अंकित नाम के अनुरूप नाम वाला), जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता कार्ड / फोटो युक्त बैंक पास बुक / किसी गैजेटेड अधिकारी / जन प्रतिनिधि द्वारा जारी किया गया फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र/ मान्यता प्राप्त कॉलेज / विश्वविद्यालय / द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र / फोटो के साथ आधार / ई-आधार कार्ड / कर्मचारी आईडी की मूल व एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा। अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध होने पर, अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा / समूह चर्चा / साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जाएगी । **उन अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने अपना नाम बदल दिया है , उन्हें केवल तब ही अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना / उनका मूल विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं ।**

नोट:राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस इस प्रक्रिया के लिए वैध पहचान पत्र के रूप मे नहीं माना जायेगा ।

बायोमेट्रिक डेटा – प्रविष्टि एवं सत्यापन:

ऑनलाइन परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक डेटा (बाएं अंगूठे का निशान या अन्यथा) को कैप्चर करने का निर्णय लिया गया है ।

योग्य अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डेटा ऑनलाईन परीक्षा के अंत में , साक्षात्कार के दिन , यदि शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो भर्ती के समय या बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार कभी भी सत्यापित किया जायेगा । इसकी स्थिति मेल या बेमेल) होने परके संब (ंध में बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन प्राधिकरी का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों को बाध्य होगा ।

बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर / सत्यापन प्रक्रिया में प्रतिभागिता निराकरण करने से पात्रता रद्द की जाएगी।

निर्बाध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्न बिंदुओं का ध्यान रखें:

- यदि उंगलियां (मुद्रित स्याही / मेहन्दी/ रंग आदि से) लेपित हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से साफ करना सुनिश्चित करें ताकि ऑनलाइन परीक्षा / साक्षात्कर से पहले लेप पूरी तरह से हट जाए।

- यदि उंगलियां गंदी या धूल भरी हैं , तो फिंगर प्रिंट (बायोमेट्रिक) लेने से पहले उन्हें धोना व सुखाना सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथ की अंगुलियां सूखी हैं। अगर उंगलियां नम हैं , तो उन्हें पोछकर सुखाएं।
- यदि कैप्चर की जाने वाली प्राथमिक उंगली (बाया अंगूठा) चोटिल / क्षतिग्रस्त है, तो परीक्षा केंद्र में संबंधित प्राधिकारी को तत्काल सूचित करें। ऐसे मामलों में अन्य अंगुलियों, पैर की उंगलियों आदि के निशान कैप्चर किए जा सकते हैं।

11) परिवीक्षाधीन अवधि:

पीजीडीबीएफ पाठ्यक्रम के सफल समापन पर , परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में जेएमजीएस-I में बैंक में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की बैंक में नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन अवधि होगी।

12) अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि:

- कार्यक्रम के दौरान बैंक द्वारा स्वीकृत विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न प्रमाणन पाठ्यक्रमों के सफल समापन पर, बैंक ऐसे शुल्क की प्रतिपूर्ति पर विचार कर सकता है और बैंक में नियुक्ति के बाद प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर सकता है।
- हमारी शाखाओं / कार्यालयों में तीन महीने की इंटर्नशिप अवधि के दौरान उम्मीदवारों को प्रति माह ₹10000 / - (केवल दस हजार रुपये) के वेतन का भुगतान ।
- यूनिफार्म खरीदने के लिए प्रति अभ्यर्थि को ₹4000/- (रु चार हजार मात्र) या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, प्रतिपूर्ती की जाएगी ।

13) लॉयल्टी बोनस:

बैंक में सेवा जारी रखने के अधीन, बैंक में नियुक्ति के 5वें वर्ष के अंत से 10वें वर्ष के अंत तक समान वार्षिक किश्तों में एक आस्थगित तरीके से , बैंक लॉयल्टी बोनस के माध्यम से सफल अभ्यर्थियों को कुल पाठ्यक्रम के शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगा । यदि अभ्यर्थी ने पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करने के लिए शिक्षा ऋण लिया है तो उक्त लॉयल्टी बोनस का भुगतान शिक्षा ऋण भुगतान के नियमित होने के अधीन होगा ।

14) बुलावा पत्र:

ऑनलाइन परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ अंकों को स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों को ही समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और उनके विवरण तथा समूह चर्चा व साक्षात्कार की सारणी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थियों को इस परियोजना के विवरणों तथा अद्यतनों के लिए बैंक की वेबसाइट देखने का सुझाव दिया जाता है ।

सभी संसूचनाएँ इस परियोजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में पंजीकृत ईमेल अईडी तथा मोबाईल नम्बर पर ईमेल / एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी । बैंक मोबाईल नम्बर, ईमेल पते में परिवर्तन , तकनीकी खराबी या बैंक के नियंत्रण से परे अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी को ईमेल / एसएमएस से भेजी गए सूचना की देरी से प्राप्ति / प्राप्त नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा । बाद में किसी दूसरे ई -मेल पते पर भेजने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा । समूह चर्चा तथा साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है ।

किसी तकनीकी या अन्य कारणवश अभ्यर्थियों को ई -मेल के द्वारा भेजे गए बुलावा पत्र / किसी संसूचना के देरी से प्राप्त होने / प्राप्त नहीं होने पर इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी । अत: अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने तक वे अपने आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिये भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय - समय पर हमारे बैंक की वेबसाइट तथा पंजीकृत ई-मेल को देखते रहें ।

15) कदाचार का दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई:

अभ्यर्थी को आवेदन पंजीकृत करते समय और प्रमाणित प्रतियां / प्रमाणक प्रस्तुत करते समय ऐसा कोई विवरण नहीं देना चाहिए जो झूठा , रद्दोबदल किया हुआ, कृत्रिम या कोई तत्थात्मक जानकारी रहित हो ।

परीक्षा, समूह चर्चा , साक्षात्कार या आगामी चयन प्रक्रिया के दौरान यदि अभ्यर्थी निम्नलिखित के लिए दोषी पाया जाता है:

i. अनुचित साधनों का उपयोग करना या
ii. प्रतिरुपण करने या किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरुपण की सहायता प्राप्त करना या

iii. परीक्षा / साक्षात्कार परिसर में दुर्व्यवहार करना या किसी उद्देश्य के लिए मौखिक या लिखित, इलैक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से परीक्षा सामग्री या उसके किसी भाग को प्रकट , प्रकाशित, पुनरुत्पादन, संचारण, भंडारण करना या ट्रांसमिशन तथा भंडारण की सुविधा देना या

iv. अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित साधन का उपयोग करना या

v. अनुचित तरीकों से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करना या

vi. परीक्षा साक्षात्कार भवन में मोबाईल फोन या उसी प्रकार के संसूचना इलैक्ट्रॉनिक डिवाईस को साथ ले जाना

तो ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए गी, और वह इसके लिए उत्तरदायी होगा;

क) समूह चर्चा / साक्षात्कार / चयन प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जा सकता है , जिसके लिए वह अभ्यर्थी है ।

ख) बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा / चयन के लिए स्थाई रूप से या एक निश्चित अवधि के लिए वंचित किया जा सकता है ।

ग) यदि बैंक में भर्ती होता / होती है तो सेवा समाप्त करने के लिए।

महत्वपूर्ण :

आईबीपीएस परीक्षा आयोजक एजेंसी अन्य उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत उम्मीदवारों के जावाब (उत्तर) का विश्लेषण करेगी जिससे वे सही तथा गलत उत्तरों की समानता पैटर्न का पता लगा सकें । यदि इस संबंध में आईबीपीएस द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यह अनुमान / निष्कर्ष निकाला जाता है कि जवाब साझा किए गए हैं तथा प्राप्त अंक वास्तविक / वैध नहीं हैं तो ऐसे मामलों में बैंक को संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे उम्मीदवारों (अपात्र) के परिणाम रोक दिए जाएंगे ।

16) घोषणा :

इस चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी आगे की घोषणा / विवरण समय-समय पर केनरा बैंक की अधिकृत वेबसाइट www.canarabank.com पर प्रकाशित / उपलब्ध कराए जाएंगे ।

17) सामान्य अनुदेश:

क. अभ्यर्थियों को केवल बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा । आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

ख. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में जमा की गई कोई भी जानकारी व्यक्तिगत रूप से अभ्यर्थी पर बाध्य होगी और यदि वह उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना / नागरिक / विवरण बाद में यदि गलत पाया जाता है तो वह अभियोजन पक्ष परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

ग. अभ्यर्थियों को परीक्षा, समूह चर्चा और साक्षात्कार के समय पर अनिवार्य रूप से आवश्यक दस्तावेज जैसे कि वैध कॉल लेटर , फोटो पहचान प्रमाण की एक-फोटोकॉपी, उसी नाम के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा।

घ. ऑनलाइन परीक्षा / समूह चर्चा / साक्षात्कार के लिए प्रवेश / बुलावा पत्र अभ्यर्थी की आयु / योग्यता / श्रेणी के सत्यापन के बगैर पूर्णत : अनंतिम है । परीक्षा / समूह चर्चा / साक्षात्कार के लिये महज बुलावा पत्र प्राप्त होने का यह मतलब नहीं है कि बैंक अभ्यर्थी की योग्यता से संतुष्ट है । अयोग्य अभ्यर्थियों के आवेदन किसी भी चरण से नामंजूर करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है तथा अयोग्य आवेदकों द्वारा भुगतान की गई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ।

ङ. एक बार आवेदन किए जाने पर आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा एक बार शुल्क भुगतान किये जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और न ही शुल्क को भविष्य में होने वाली परीक्षा / चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा । कई आवेदन के मामले में केवल एक आवेदन जो पूर्व वर्णित है पर विचार किया जाएगा । अस्वीकृत आवेदन के मामले में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ।

च. ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते , विवरणों में परिवर्तन हेतु किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

छ. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा सभी स्थानो अर्थात उसके बुलावा पत्र, उपस्थिति पत्र आदि तथा भविष्य में बैंक के साथ सभी पत्राचारों में संलग्न हस्ताक्षर समान हो तथा किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए ।

ज. ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा नवीनतम पहचान योग्य फोटो (4.5 से.मी. X 3.5.से.मी.) अपलोड की जानी है तथा अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उसकी बाकी प्रतियां प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए संभाल कर रखी गयी हो । अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वें जैसा दिख रहे हैं , प्रक्रिया पूरी होने तक उसे न बदलें । प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक ही फोटो की प्रस्तुति में चूक पर या किसी चरण में पहचान की संदिग्धता अपात्रता का कारण हो सकती है ।

झ. किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन को नामंजूर कर दिया जाएगा तथा भुगतान किए गए शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा ।

ञ. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा और / या समूह चर्चा तथा साक्षात्कार के लिये अपने खर्च पर उपस्थित होना पड़ेगा ।

तथापि, समूह चर्चा और / या साक्षात्कार के लिए बुलाए गए बाहरी स्थान के अ.जा./अ.ज.जा./ संदर्भित दिव्यांग जन अभ्यर्थियों को यात्रा का सबूत प्रस्तुत करने पर निकटतम मार्ग से आने -जाने का द्वितीय श्रेणी का ट्रेन किराया या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा ।
केन्द्र सरकार / राज्य सरकार, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्थानीय सरकार, संस्थाओं व पंचायत आदि में सेवारत निर्धारित अ.जा. /अ.ज.जा. / संदर्भित दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्त रियायत नहीं दी जाएगी ।

ट. सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (बैंक सहित) में कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/समूह चर्चा के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा, जिसकी अनुपस्थिति में उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

ठ. चयनित अभ्यर्थी जो वर्तमान में / पहले से कार्यरत हैं, उन्हें कोर्स में शामिल होने से पहले बिना शर्त उचित कार्यमुक्ति पत्र / आदेश प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, उन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ड. ऑनलाईन परीक्षा / साक्षात्कार में एक से अधिक उपस्थिति / प्रस्तुति को निरस्त / अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा ।

ढ. चयनित अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रस्ताव पत्र प्राप्ति के एक महीने के भीतर (संभावित) पाठ्यक्रम में शामिल होना होगा । चूंकि यह विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया पाठ्यक्रम है जो सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक निश्चित दिन से शुरू होता है, पाठ्यक्रम में शामिल होने हेतु समय बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ण. भारत में कहीं भी सेवा के इच्छुक अभ्यर्थी ही उपर्युक्त चयन प्रक्रिया हेतु आवेदन करें ।

त. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में , वे चरण जिनके अतर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जानी है, समूह चर्चा व साक्षात्कार के आयोजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य मामले सहित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्य होगा । इसके अलावा बैंक के पास अपने विवेकानुसार भर्ती प्रक्रिया को आंशिक / पूर्ण रूप से रद्द / रोकने का अधिकार है, जो कि अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्य होगा ।

थ. बैंक अपने विवेक से , विनिर्दिष्ट पद या अभ्यर्थियों , केन्द्र / स्थान के संबंध में जहाँ कहीं ज़रूरी हो, पुन: परीक्षा / पुन: समूह चर्चा / पुन: साक्षात्कार आयोजित कर सकता है । अभ्यर्थी जो आगे बढ़ने के इच्छूक नहीं हैं या जो परीक्षा की लम्बित प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छूक नहीं है, को प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा ।

द. चयनित अभ्यर्थियों को समूह चर्चा / साक्षात्कार के समय आयु, योग्यता, अनुभव, जाति आदि से संबंधित स्व : अनुप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । इन दस्तावेजों के प्रति सत्यापन के लिए दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ मूल दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। यदि दस्तावेजों का सत्यापन करते समय कोई अभयर्थी अयोग्य पाया जाता है तो उन्हें समूह चर्चा / साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

ध. अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व. / संदर्भित दिव्यांग जन श्रेणी वाले व्यक्ति से संबंधित अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति / दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति तैयार रखनी चाहिए । अ.पि.व. से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में लाभ लेने से अलग किये गये क्रिमी लेयर वर्गों से संबंधित नहीं है। यथा आवेदन की तिथि को अ .पि.व. का जाति प्रमाणपत्र एक वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए । अ .जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / संदर्भित दिव्यांगजन प्रमाणपत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही हो । सत्यापन हेतु मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए ।

<u>अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व./ संदर्भित दिव्यांग जन को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है</u> :-

I) <u>अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़े वर्गों के लिये:</u>

(i) जिलाधीश / अतिरिक्त जिलाधीश / समाहर्ता/ उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त /उप समाहर्ता / प्रथम श्रेणी के वरीय मजिस्ट्रेट /सिटी मजिस्ट्रेट / उपमंडल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वरीय मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं) / तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं (iv) अभ्यर्थी और / या उसका परिवार सामान्य रूप से जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र का अनुमंडल अधिकारी ।

II) <u>संदर्भित दिव्यांग जन व्यक्तियों हेतु</u> : प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत प्रमाणीकरण प्राधिकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी ,ज़िले का अनुमंडल चिकित्सा अधिकारी एवं अस्थि / नेत्र / ईएनटी सर्जन या उपयुक्त सरकार द्वारा

प्रमाणीकरण प्राधिकारी के रूप में नामिय व्यक्ति को शामिल करते हुए जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड होगा ।

III) अ.जा, अ.ज.जा, अ.पि.व., संदर्भित दिव्यांग जन प्रमाणपत्र के लिये निर्धारित प्रपत्र बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com. से डाउनलोड किया जा सकता है । इन श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र अनिवार्यतया इसी प्रपत्र में ही प्रस्तुत करना है।

ण) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय सेवामुक्ति प्रमाणपत्र तथा अंतिम/वर्तमान रैंक (वास्तविक के साथ -साथ कार्यकारी) का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

त) पीजीडीबीएफ कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों का दाखिला बैंक की आवश्यकतानुसार उनका / उनकी मेडिकल फिट होने और पुलिस प्राधिकारियों से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने के अधीन होगा । पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक की सेवा शर्तों व आचरण संहिता के अधीन होगी ।

थ) इस विज्ञापन के कारण उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटारा पूर्णत: बेंगलूर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में होगा ।

द) किसी भी रूप में सिफारिश किया जाता है तो उसे अयोग्यता माना जाएगा ।

ध) बैंक ऐसे किसी आवेदन -पत्र के अस्वीकृत होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो किसी अनधिकृत व्यक्ति / संस्थान / वेबसाइट / जॉब पोर्टल / सामाजिक मीडिया द्वारा जारी किसी विज्ञापन में दी गयी गलत सूचनाओं पर आधारित हो ।

न) अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी संस्करण में व्याख्या को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होने के मामले में अंग्रेजी संस्करण अधिमान्य होगा ।

ऩ) चयन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन परीक्षा / समूह चर्चा/साक्षात्कार हॉल में किसी भी अभ्यर्थी को कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या अन्य कोई उपकरण के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सूचित किया जाता है कि उल्लिखित अंतिम तारीख से पहले अपना ऑन लाइन पंजीकरण करें और आवेदन प्रस्तुत करें ताकि इंटरनेट पर अधिक भार लॉग ऑन करने से / वेबसाइट जैम के कारण बैंक की वेबसाइट पर डिसकनेक्शन / असफलता की / असमर्थतासंभावना से बचा जा सके । बैंक ऐसी किसी भी बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है जहाँ अभ्यर्थी पूर्वोक्त कारणों से या बैंक के नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं हो सके।

दिनांक : 23.10.2018

स्थान : बेंगलूरु **महा प्रबन्धक**

अनुबन्ध

फोटोग्राफ (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.) व हस्ताक्षर के स्कैनिंग व अपलोडिंग हेतु दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को नीचे दिये गये विनिर्देशों के अनुसार अपने फोटो व हस्ताक्षर को स्कैन (डिज़िटल) करने की आवश्यकता है।

फोटो इमेज :

- पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो होनी चाहिए ।
- यह सुनिश्चित करें कि रंगीन फोटो हल्के रंग यथा, खासकर सफेद पृष्ठभूमि में खींची गयी हो।
- तनाव रहित चेहरे के साथ कैमरे में सीधे देखें
- फोटो यदि धूप में ली जाती है तो सूरज आपके पीछे होना चाहिये या स्वयं को छाये में रखें ताकि आपकी आँखें बन्द न हो रही हो व छायापूर्ण फोटो न आएं ।
- यदि आपने फ्लैश का उपयोग किया है तो सुनिश्चित करें कि "रेड आई" न हो ।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिम्ब न हो व आपकी आँखें स्पष्ट दिखाई दे ।
- टोपी, हैट व काले चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं । धार्मिक पगड़ी अनुमत है परंतु उससे आपका चेहरा ढका नहीं होना चाहिये ।
- लंबाई-चौडाई 200 x 230 पिक्सल (अधिमानित)
- फाइल का आकार 20 केबी-50केबी के बीच होना चाहिये
- सुनिश्चित करें कि स्कैन किया हुआ फोटो 50 केबी से अधिक न हो । यदि फाइल का आकार 50 केबी से अधिक है तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग को यथा डीपीआई रिसॉल्यूशन, रंग की संख्या आदि उसके अनुरूप करें ।

हस्ताक्षर इमेज :

- आवेदक को सफेद कागज़ पर काली स्याही से हस्ताक्षर करना है ।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ।
- हस्ताक्षर का उपयोग बुलावा पत्र पर डालने तथा जहाँ आवश्यक हो, किया जाएगा ।
- यदि परीक्षा के दौरान आवेदक का हस्ताक्षर उत्तर पत्रिका व बुलावा पत्र में उपलब्ध हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- लंबाई-चौडाई 140 X 60 पिक्सेल (अधिमानित)
- फाइल का आकार 10केबी-20केबी के बीच होना चाहिए ।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर का आकार 20 केबी से अधिक नहीं हो ।
- **बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में किया हुआ हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा ।**

<u>फोटो व हस्ताक्षर को स्कैन करना :</u>

- स्कैनर रिसॉल्यूशन को न्यूनतम 200डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें ।
- कलर को ट्रू कलर पर सेट करें ।
- फाइल का आकार - उपरोक्तानुसार
- स्कैनर में इमेज को फोटो / हस्ताक्षर को किनारे से क्रॉप करें, तत्पश्चात इमेज के अंतिम आकार तक क्रॉप करने हेतु अपलोड एडिटर का उपयोग करें । (उपरोक्तानुसार)
- इमेज फाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए । उदाहरण के लिए फाइल नाम : इमेज01.जेपीजी या इमेज0 1.जेपीईजी। फोल्डर फाइल को सूचीबद्ध कर या फाइल इमेज आईकॉन पर माउस को रखकर जेपीईजी इमेज के आकार की जाँच की जा सकती है ।
- एमएस विंडोज / एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग कर क्रमश: 50केबी व 20केबी से कम में फोटो व हस्ताक्षर को जेपीईजी प्रारूप में प्राप्त कर सकते हैं । किसी भी प्रारूप में स्कैन किया हुआ फोटो व हस्ताक्षर को जेपीजी प्रारूप में फाइल मेनु में 'सेव ऐज़' विकल्प के द्वारा सेव किया जा सकता है तथा 'इमेज' मेनु में क्रॉप व तत्पश्चात रीसाइज़ विकल्प (पिक्सेल आकार हेतु कृपया उपरोक्त बिन्दु (i) व (ii) देखें) के द्वारा आकार को 50 केबी (फोटो) व 20 केबी (हस्ताक्षर) तक कम किया जा सकता है । समान विकल्प अन्य फोटो एडिटर में भी उपलब्ध है ।
- यदि फाइल का आकार व प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है तो एक त्रुटी संदेश प्रदर्शित होगा ।
- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय अभ्यर्थी को अपनी फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा ।

<u>फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया :</u>

- फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु दो अलग-अलग लिंक होंगे ।
- संबंधित लिंक "अपलोड फोटो / हस्ताक्षर" पर क्लिक करें ।
- जहाँ स्कैन किया हुआ फोटो / हस्ताक्षर सेव किया गया है, उसको ब्राउज करके चयन करें।
- फाइल पर क्लिक करके उसका चयन करें ।
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें ।

जब तक आप उपरोक्तानुसार अपना फोटो व हस्ताक्षर अपलोड नहीं करते तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं होगा ।

नोट :

(1) यदि फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर अस्पष्ट है तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है । ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपना फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी को इसकी जाँच करनी चाहिए कि इमेज स्पष्ट है व सही प्रकार से अपलोड हुए हैं । यदि फोटो व हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं तो अभ्यर्थी अपना आवेदन संशोधित कर सकता है एवं प्रपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपना फोटो / हस्ताक्षर पुन:अपलोड कर सकता है।

(2) अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो के स्थान पर फोटो तथा हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किए गए हो । फोटो तथा हस्ताक्षॅर तुरंत दिखाई नहीं देने पर अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है तथा प्रपत्र प्रस्तुत करने से पहले अपनी फोटो या हस्ताक्षर पुन: अपलोड कर सकता है ।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि अपलोड कि जाने वाली फोटो अनिवार्य आकार की हो तथा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए ।

(4) यदि फोटो को फोटो के स्थान पर अपलोड नहीं किया गया है तो परीक्षा हेतु प्रवेश रद्द / मना कर दिया जाएगा । अभ्यर्थी इसके लिये स्वयम ज़िम्मेदार होंगे

(5) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि अपलोड किया गया हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे ।

(6) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात अपने प्रणाली उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का एक प्रिंट-आउट ले लें ।